भूगर्भीय आख्या

जनपद–देहरादून में देहरादून–रिखोली मोटर मार्ग के किमी.16 से रिखोली गांव के नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1–ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के द्वारा जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लाक के अन्तर्गत **देहरादून–रिखोली मोटर मार्ग के किमी.16 से रिखोली गांव के नारायण सिंह के घर तक** ग्रामीण मोटर मार्ग का 1.425 किमी. लम्बाई में निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन **देहरादून–रिखोली मोटर मार्ग के किमी.16 से** आरम्भ होता है तथा निर्धारित 1.425 किमी. लम्बाई पूर्ण कर ग्राम रिखोली गांव के नारायण सिंह के घर के समीप पूर्ण होता है। मार्ग का निर्माण 5.20 मी. चौडाई में किये जाने का प्रस्ताव है। समरेखन में दो हियर पिन बैण्ड जो कि कमष. कांस संख्या 0/15 एवं 0/24 में दिये गये है। समरेखण में कुछ स्थानीय सुखे गदेरे भी आ रहे है, जिन पर एक मीटर स्पान के कल्वर्ट के निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखण क्षेत्र में भूमि का ढलान सामान्यतया 20 से 40 डिग्री के मध्य प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में फिलाईट, स्लेट, तथा क्वार्टजाईट की चट्टाने है। ये चट्टाने संधियुक्त तथा वेदर्ड है, चट्टान के ऊपर स्थान – स्थान पर ओवरवर्डन मैटेरियल है।

2–समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

1) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस भाग में पहाडी ढलान तीव्र है, वहां मार्ग का निर्माण हाफ कट–हाफ फिल टेक्नीक से कराया जा सकता है।

2) मार्ग के प्रारम्भ में टेक आफ प्वाइंट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।

3) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनायें जायें।

4) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स को avoid किया जाना चाहिये।

5) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

6) जहॉ मार्ग कटान की ऊचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, विशेष रूप से बैण्ड्स पर एवं आबादी वाले भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

Attested

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड–देहरादून

7) जहॉ आवश्यक हो, मार्ग के ऊपर व नीचे पहाडी ढलान पर समुचित पौधौं का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रकिया को नियत्रित रखा जा सके।

8) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोड साईड ड्रेन, स्कपर एवं अन्य कास ड्रेनेज वर्क्स का प्रावधान किया जायें।

9) कटिंग के दौरान निकले हुये मैटेरियल को पूर्व निर्धारित dump yard में डाला जायें। खड्ड साईड में फेकने से भूक्षरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

10) उपरोक्त के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियान्त्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

देहरादून–रिखोली मोटर मार्ग के किमी.16 से रिखोली गांव के नारायण सिंह के घर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.425 किमी. लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी– भूमि हस्तातरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है।

H. Kumar 18.12.15
(हर्ष कुमार)

वरि0 भूवैज्ञानिक (से0नि0)

लोक निर्माण विभाग

देहरादून

Attested

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड–देहरादून